कार्यालय तहसीलदार/ कार्यपालिक दण्डाधिकारी छपारा
जिला सिवनी मध्यप्रदेश

ई–मेलः tahchhapara@gmail.com

क्रमांक /935/ री.तह. / 2024 छपारा दिनांक 09.12.2024

प्रति,

थाना प्रभारी
थाना छपारा
तहसील छपारा जिला सिवनी।

विषयः– शासकीय कार्य में बाधा एवं गाली गलौच ओर मारपीट करने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज किये जाने बावद्।

संदर्भः– हल्का पटवारी के द्वारा प्रस्तुत शिकायती आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2024।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय में पदस्थ हल्का पटवारी श्री सुरेश कुमार साहू पिता बाबूलाल साहू के द्वारा संदर्भित आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें शासकीय कार्य में बाधा उत्पन करने एवं गाली गलौच करने का लेख किया गया है।

संदर्भित आवेदन के अनुसार विषयांतर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः– आवेदन पत्र।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
तहसील छपारा जिला सिवनी

09/12/24

जिला सिवनी म. प्र.

KGO NEW
SHEET

Scanned by CamScanner

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,
तहसील छपारा जिला सिवनी।

विषयः— ग्राम चमारीखुर्द में सीमांकन के दौरान कुल लोगो के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा एवं गाली गलौच ओर मारपीट करने के संबंध में।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय, छपारा वृत्त चमारीखुर्द के राजस्व प्रकरण कमांक 0514/अ—12/2024—25, 0515/अ—12/2024—25, 0516/अ—12/2024—25, 0513/अ—12/2024—25, 0512/अ—12/2024—25, 0507/अ—12/2024—25, 0508/अ—12/2024—25 के अनुसार ग्राम चमारीखुर्द की भूमि खसरा नंबर 146/1/1, 146/1/2 146/1/3 146/3 146/4 रकबा क्रमशः 0.80 0.80 0.80, 1.08, 0.80 हे0 भूमि का सीमांकन हेतु ग्राम चमारीखुर्द में आवेदकगण चन्द्रकुमार पिता श्यामसिंह, रामकुमार पिता मोहन, रामस्वरूप पिता मोहन इन्द्रकुमार पिता श्यामसिंह के साथ उपस्थित हुये था। उक्त भूमि के सीमांकन के दौरान अनावेदकगण अनिल कुमार पिता देवचंद, रंजीत पिता अनिल एवं रनिया बाई पति अनिल एवं अन्य दो व्यक्ति के द्वारा मौके पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन कि गई एवं मेरे साथ गाली गलौच कि गई जो सुनने में बुरी लगी एवं बाद में देखने की धमकी तथा झुठे प्रकरण फसाने कि धमकी दी गई तथा मुझे एवं चन्द्रकुमार को लकडी लेकर मारने को दौडे कुछ लोगो के द्वारा बीच बचाव किया गया । उक्त अनावेदकगणो से मुझे जान का खतरा है एवं शासकीय कार्य करने पर मुझे परेशानी का सामना करना पडेगा। उक्त घटना दिनांक 09.12.2024 के समय दोपहर 3.00 बजे की है। यदि ग्राम के कोटवार एंव ग्राम के लोग बीच बचाव नही करते तो अनावेदकगण मुझे जान से मार देते । घटना के समय गेंदलाल पिता नामालूम, ग्राम कोटवार सुखचैन, सविता बाई उपस्थित थे। जिन्होने घटना देखी व सुनी है।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि अनावेदकगणो के विरूद्ध उचित कार्यवाही किये जाने हेतु आवेदन सादर संप्रेषित है।

प्रार्थी

सुरेश कुमार साहू पिता बाबूलाल साहू
पटवारी ह0नं0 18 रा0नि0मं0 चमारीखुर्द
दूरभाष नंबर 7509860544

KGO NEW
SHEET

Scanned by CamScanner

म0प्र0पटवारी संघ शाखा तहसील छपारा जिला सिवनी म.प्र.

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,
तहसील छपारा जिला सिवनी।

विषयः– ग्राम चमारीखुर्द में सीमांकन के दौरान कुल लोगो के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा एवं गाली गलौच ओर मारपीट करने के संबंध में।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय, छपारा वृत्त चमारीखुर्द के राजस्व प्रकरण कमांक 0514/अ–12/2024–25, 0515/अ–12/2024–25, 0516/अ–12/2024–25, 0513/अ–12/2024–25, 0512/अ–12/2024–25, 0507/अ–12/2024–25, 0508/अ–12/2024–25 के अनुसार ग्राम चमारीखुर्द की भूमि खसरा नंबर 146/1/1, 146/1/2 146/1/3 146/3 146/4 रकबा क्रमशः 0.80 0.80 0.80, 1.08, 0.80 हे0 भूमि का सीमांकन हेतु ग्राम चमारीखुर्द में आवेदकगण चन्द्रकुमार पिता श्यामसिंह, रामकुमार पिता मोहन, रामस्वरूप पिता मोहन इन्द्रकुमार पिता श्यामसिंह के साथ उपस्थित हुये था। उक्त भूमि के सीमांकन के दौरान अनावेदकगण अनिल कुमार पिता देवचंद, रंजीत पिता अनिल एवं रनिया बाई पति अनिल एवं अन्य दो व्यक्ति के द्वारा मौके पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन कि गई एवं पटवारी के साथ गाली गलौच कि गई जो सुनने में बुरी लगी एवं बाद में देखने की धमकी तथा झुठे प्रकरण फसाने कि धमकी दी गई । यदि ग्राम के कोटवार एंव ग्राम के लोग बीच बचाव नही करते तो अनावेदकगण पटवारी साथी को जान से मार देते ।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि अनावेदकगणो को गिरफतार कर उचित कार्यवाही किये जाने हेतु आवेदन सादर संप्रेषित है। यदि अनावेदकगणो के विरूद्ध तीन दिवस के अंदर कार्यवाही नही कि जाती है तो पटवारी साथी के सर्मथन में पटवारी संघ हड़ताल में जाने को विवश होगा।

पटवारी संघ
09/12/2024

प्रतिलिपीः–

थाना प्रभारी छपारा की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।

पटवारी संघ
09/12/2024

9.12.24

KGO NEW
SHEET

Scanned by CamScanner